# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/09/2020 | 20—10—2020 | 11—11—2020 |

1— पुरूषोतम पुत्र चिरंजी
2— पुष्कराज योगी पुत्र चिरंजी
3— पार्वती पुत्री चिरंजी निवासीयान रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान। —अपीलान्ट्स

बनाम

1— नायब तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। —रेस्पाडेन्ट

**अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार मालाखेड़ा नामान्तरकरण संख्या 1140 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर दिनांक 10.03.2008**

उपस्थितः—
01. श्री गुड्डी नायक —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 10.03. 2008 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1140 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर बेजा तौर पर गलत नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॅार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नायब तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा दिनांक 10.03.2008 को निर्णय पारित कर इंतकाल बय संख्या 1140 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा स्वीकार किया गया है। जिससे संबंधित आराजी हाल खसरा नम्बर 2299 रकबा 0.82 है0, 2300 रकबा 0.82 है0 कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 1.64 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में स्थित है। जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 15.10.2020 को हुई। मिन अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय में जाकर इंतकाल क नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया । पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त विरासत इंतकाल में मिन अपीलांट्स का नाम गलत दर्ज है। इंतकाल की नकल दिनांक 15.10.2020 को सायंकाल प्राप्त हुई। इसके पश्चात् नाम दुरूस्ती हेतु अपील दायर करने में देरी रूपयों का इंतजाम व जानकारी के अभाव में हुई है। इसलिए आज्ञा दिनांक 10.03.2008 से जानकारी की दिनांक 15.10.2020 तक का समय माफ किया जाना न्याय संगत है। जिस हेतु पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रा0पत्र पेश है। अपीलांट के पिता सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट के पिता विवादित इंतकाल से संबंधित आराजी के पूर्व खातेदार है। उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांट्स व अन्य वारिसान के नाम विरासत का इंतकाल दर्ज किया गया। अपीलांट सं0 1 का सही व वास्तविक नाम पुरूषोतम—

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पुत्र चिरंजी, अपीलांट सं0 2 का सही व वास्तविक नाम पुष्कराज योगी पुत्र चिरंजी एवं इसी प्रकार अपीलांट सं0 3 का सही व वास्तविक नाम पार्वती पुत्री चिरंजी है जो कि अपीलांट्स के पहचान–पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं कार्यालय ग्रम पंचायत रैणी के प्रमाण–पत्र से स्पष्ट है। जबकि राजस्व रेकॉर्ड में अपीलांट्स के उपरोक्त वास्तविक नाम के स्थान पर मिन अपीलांट सं0 1 का नाम प्रकाश पुत्र चिरंजी, अपीलांट सं0 2 को नाम अशोक पुत्र चिरंजी एवं अपीलांट सं0 3 का नाम कमला पुत्री चिरंजी कर दिया गया है। गलत नाम दर्ज करने से अपीलांट्स को अपनी उक्त आराजी बाबत कार्य करने में अड़चन आती है। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दि0 15.10.2020 को हुई। बिना देरी के अपील पेश की गयी। अपील के साथ मियाद अधिनियम प्रा0पत्र दफा 5 भी पेश किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं0 1140 दिनांक 10.03.2008 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का नाम मिन अपीलांट सं0 1 का नाम प्रकाश पुत्र चिरंजी, अपीलांट सं0 2 को नाम अशोक पुत्र चिरंजी एवं अपीलांट सं0 3 का नाम कमला पुत्री चिरंजी को कलमजन किया जाकर मिन अपीलांट सं0 1 का सही व वास्तविक नाम पुरूषोतम पुत्र चिरंजी, अपीलांट सं0 2 का सही व वास्तविक नाम पुष्कराज योगी पुत्र चिरंजी एवं इसी प्रकार अपीलांट सं0 3 का सही व वास्तविक नाम पार्वती पुत्री चिरंजी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अपील में पेश इंतकाल की प्रति एवं उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से पाया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रैणी पं0स0 रैणी जिला अलवर द्वारा जारी नाम शुद्धिकरण प्रमाण–पत्र दिनांक 19.08.2020 में मिन अपीलांट्स का नाम का प्रमाणीकरण किया गया है। जबकि अपीलांट के पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् की फोटो प्रति में अपीलांट सं0 1 नाम पुरूषोत्तम, अपीलांट सं0 2 का नाम पुष्कराज योगी एवं इसी प्रकार अपीलांट सं0 3 का नाम पार्वती दर्ज है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट्स के दस्तावेजात् की जांच कर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार मालाखेड़ा को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

**निर्णय आज दिनांक 11–11–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

11/11/2020

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)